न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 75/2021 (GCMS : 2021/211)

राजेन्द्र उर्फ राजाराम पुत्र डूंगरराम जाति बिश्नोई निवासी गांव बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र रामसुख जाति बिश्नोई
2. उग्रसेन पुत्र देवीलाल जाति जाट
3. तुलसीराम पुत्र देवीलाल जाति जाट
4. देवीलाल पुत्र गणपत जाति जाट
5. विरेन्द्र पुत्र ओम प्रकाश जाति सुथार निवासीगण बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पदमपुर
7. **उपखण्ड अधिकारी, राजस्व पदमपुर**
8. प्रमिला पत्नी राजेन्द्र उर्फ राजाराम पुत्र डूंगरराम जाति बिश्नोई निवासी गांव बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

16.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार हरललानी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री कृष्णलाल एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 एवं 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन था कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 8 ने अपनी कृषि भूमि चक 48 एलएनपी के खाता संख्या 78/25 के मुरब्बा नं. 49 व 50 के रकबा की सिंचाई सुविधा हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु अपने रकबा चक 49 एलएनपी के खाता संख्या 109/100 के मु.नं. 23 के किला नं. 5 में लगे ट्यूबवेल मय डिग्गी का पानी भूमिगत पाईप लाईन दबाकर उत्तर दक्षिणी दिशा की तरफ चक 49 एलएनपी के मुरब्बा नं0 10 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व इसी चक के मु.नं. 3 के किला [illegible] सरकारी खाला की जगह छोड़कर एक एक बिस्वा में से व इसी चक के [illegible] किला नं. 16 के कोना में 20 फीट पूर्व पश्चिम जगह [illegible] से भूमिगत पाईप [illegible] दबाने व बिछाने हेतु मंजूरी के लिए प्रार्थना पत्र [illegible]खण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष दिनांक 05.04.2021 को पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि यह प्रकरण प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 24.11.2021 को ग्राम पंचायत जोकड़िया में लगे शिविर में रखा गया, इस प्रार्थी शिविर में पेश हुआ तब पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उन पर राजनैतिक दबाव है, इसलिए वह मंजूरी नहीं दे सकेगें, इस कारण उन्हें पीठासीन अधिकारी, पदमपुर से न्याय की कोईं उम्मीद नहीं रही, इसलिए उनका प्रकरण अन्य सक्षम अधिकारी के न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि उसके प्रकरण को अन्य किसी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में मुंतकिल करना न्यायहित में आवश्यक है जिससे प्रार्थी के प्रकरण का शीघ्र ही निर्णय होकर पाईप लाईन की स्वीकृति प्राप्त हो सके तथा प्रार्थी अपनी भूमि में ट्यूबवेल व डिग्गी का पानी लगाकर सुधार कर सके।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रस्तावित पाईप लाईन बिछाने में से केवल 8 फीट पाईप दबानी ही शेष है, शेष सहमति के कारण दबायी जा चुकी है। इसलिए उनकी पत्रावली को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जावे ताकि राजनैतिक प्रभाव के कारण निर्णय प्रार्थी के खिलाफ होने से रोका जा सके।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया था कि प्रार्थी की भूमि चक 48 एलएनपी एवं 49 एलएनपी में स्थित है। दोनों चकों के मोघे अलग अलग है तथा खाले नाके भी अलग अलग है। प्रार्थी का पहले का एक प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर के यहां अपनी एक चक से दूसरे चक में स्थानान्तरण के लिए निवेदन किया हुआ है। यह स्थानान्तरण वर्तमान में राज्य सरकार की अपरूवल के बिना नहीं हो सकता। चक के सभी काश्तकारों को इसमें आपत्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि यह [illegible] वर्तमान में अधिशाषी अधिकारी के यहां पैण्डिंग है। इसमें काश्तकारों की [illegible] के कारण तथा तकनीकि तथ्यों के अनुकूल न होने के कारण स्थानान्तरण की कोई आशा न होने पर प्रार्थी के द्वारा यह नया तरीका ढूंढा है। जिससे वह अपनी भूमि 49 एलएनपी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

का पानी इस 48 एलएनपी में लगा सके। जबकि एक चक का पानी दूसरे चक में नहीं लगाया जा सकता, ऐसा करना अपराधिका कार्यवाही है। प्रार्थी तथ्यों को छुपकार सम्बन्धित अधिकारी पर अपना दबाव बना कर निर्णय करवाने की फिराक में है।

उनका आगे यह भी कथन था कि कथित व्यक्ति प्रार्थी के परिवार का ही है जबकि अधिशाषी अभियन्ता के यहां राजीनामा स्टेटमैंट तैयार करवाया गया जिसमें सभी प्रभावित काश्तकारों के द्वारा आपत्ति के ब्यान दिये गये है जिसको जानबूझकर इस पत्रावली में वर्णित नहीं किया गया हैं

उनका आगे यह भी कथन था कि यह प्रकरण किसी भी प्रकार से कैम्प में निर्णित किया जाने वाला नही है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर हम सब काश्तकारों के द्वारा आपत्ति की गई थी तथा प्रथम दृष्टया यह प्रकरण विधि सम्मत नहीं है। ऐसे में कैम्प में आनन फानन में अन्य पत्रावलियों के साथ इस पत्रावली को भी निकालने का प्रयास में प्रार्थी सफल नहीं हुआ इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है तथा इस प्रकरण को स्थानान्तरण के माध्यम से अपनी मर्जी के अधिकारी के पास ले जाकर निर्णय अपने हक में करवाने की फिराक में है। इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

मैने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 10.12.20221 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी र[illegible] अधीनस्थ न्यायालय में 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का [illegible]न्द्र आदि बनाम बनवारी लाल को अन्यत्र [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्प[illegible] में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी राजेन्द्र उर्फ राजाराम द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि उसने प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रकरण पेश किया था और पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण मंजूरी नही दे सके इसलिए उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.05 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:43 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर